

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1495]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 14, 2016/ज्येष्ठ 24, 1938

No. 1495]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 14, 2016/JYAISTHA 24, 1938

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 14 जून, 2016

का.आ. 2105(अ).— अधिसूचना सं. का. आ. 2024(अ), दिनांक 9 जून, 2016 के क्रम में तथा हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 35) की धारा 15 के साथ पठित धारा 3, 4, 5, 6 तथा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (iv)(क) के तहत श्री एच. बी. काज़मी (शिया) को शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित हो जाने की तारीख से 8 जून, 2019 तक की अवधि के लिए भारतीय हज समिति के सदस्य के रूप में नामित करती है।

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. (17) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नवत शामिल किया जाएगा, अर्थात् :-

"(17) श्री एच. बी. काज़मी (शिया),

सदस्य"

24/34, काज़मी स्ट्रीट,

रानी मंडी,

इलाहाबाद-211003, उ.प्र.

[सं. एम (हज)-1183/20/2015]

असीम आर. महाजन, संयुक्त सचिव (हज)

टिप्पणी:- भारतीय हज समिति में सदस्यों की नियुक्ति हेतु प्रधान अधिसूचना संख्या का. आ. 2024 (अ), दिनांक 9 जून, 2016 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th June, 2016

S.O. 2105(E).— In continuation of notification no. S.O. 2024 (E), dated 9th June, 2016 and in exercise of the powers conferred by Sections 3, 4, 5, 6 and 8 read with Section 15 of the Haj Committee Act, 2002 (35 of 2002), the Central Government, hereby nominates Shri H.B. Kazmi (Shia) as a member of the Haj Committee of India under sub-section (iv)(a) of Section 4 of the said Act, for a period up to 8th June, 2019 with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

In the said notification, serial number (17) and the entries relating thereto, shall be inserted, namely:-

“(17) Shri H.B. Kazmi (Shia), Member”
24/34, Kazmi Street,
Rani Mandi,
Allahabad-211003, U.P.

[No. M(Haj)-1183/ 20/2015]

ASEEM R. MAHAJAN, Jt. Secy. (Haj)

Note:- The principal notification for appointing the members to the Haj Committee of India was published in Gazette of India, Extraordinary vide number S.O. 2024 (E), dated the 9th June, 2016.